I/(22)/DISP/30/2022-O/o ADC-Cus-Prev-Commrte-Jodhpur

I/913388/2022

कार्यालय उप–सहायक आयुक्त सीमा शुल्क संभाग,
कुचामन बंगला, पॉच बत्ती, रातानाडा, जोधपुर

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वाहन की " जहाँ है जैसा है की स्थिति में" के आधार पर इस कार्यालय परिसर में दिनांक 11 जनवरी 2023, बुधवार को प्रातः 11.00 खुली बोली द्वारा नीलामी की जाएगी।

क्र. सं.	वाहन का विवरण/निर्माण-वर्ष	रजिस्टर संख्या	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
1	MARUTI GYPSI KING MPI (SOFTTOP) /2006	RJ14-UA-3871	35000	5000

नीलामी के नियम एवं शर्ते निम्न प्रकार से होगी जिसकी विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट http://cgstjaipur.gov.in पर उपलब्ध है :-

1. नीलामी में कोई भी अशासकीय व्यक्ति भाग ले सकता है, किन्तु बोली लगाने से पूर्ण धरोहर राशि रुपये 5000 /- डिमांड ड्राफ्ट जो प्रशासनिक अधिकारी, सीमा शुल्क संभाग, जोधपुर के पक्ष में देय हो जमा करवाना होगा, इसके साथ बोलीदाता, बोली में शामिल होने का पत्र एवं फोटोयुक्त ID की प्रतिलिपि देना अनिवार्य है। उपरोक्त दस्तावेज दिनांक 10 जनवरी 2023 को शाम 5 बजे तक सीमा शुल्क संभाग, जोधपुर कार्यालय में जमा करवाना होगा, एवं इसके उपरांत आने वाले बोलीदाता को स्वीकार नही किया जायेगा । धरोहर राशि नगद में स्वीकार नही की जाएगी।
2. वाहन की नीलामी निर्धारण दिनांक एवं समय पर सीमा शुल्क उप-आयुक्तालय, कुचामन बंगला, पांच बत्ती सर्किल, रातानाडा जोधपुर के परिसर में होगी।
3. नीलामी उच्चतम बोली दाता के पक्ष में की जाएगी। सफल बोली दाता को सम्पूर्ण राशि तुरंत राजकोष में जमा करवाकर इसका प्रमाण पत्र अधो-हस्ताक्षर करता को उसी दिन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

4. सफल बोली दाता द्वारा यदि वाहन की सुपुर्दगी नही ली जाती है अथवा निविदा शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी परिस्तिथियों में धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. सफल बोली दाता के हस्तांतरण/पंजीयन अथवा निपटान की समस्त कारवाही में खर्च एवं देय सरकारी करो को स्वयं को करनी होगी/ वाहन से सम्बधित दस्तावेजों में केवल रजिस्ट्रैशन सर्टिफिकेट की मूल कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी।
6. इच्छुक बोली दाता नीलामी से पूर्व वाहन का निरिक्षण सीमा शुल्क उप-आयुक्तालय, कुचामन बंगला, पांच बत्ती सर्किल, रातानाडा जोधपुर के परिसर में किसी कार्य दिवस में 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक कर सकते है।
7. किसी भी बोली को निरस्त करने/अस्वीकार करने का अधिकार अधो-हस्ताक्षरकर्ता के पास रहेगा ।

(डा. नरेन्द्र आसेरी)
उप-आयुक्त

निम्नलिखित को सुचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. संपादक राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर, जोधपर को उक्त प्रेस विज्ञप्ति जोधपुर के संस्करण में 64 स्क्वायर सेंटीमीटर तक के कॉलम में डीएवीपी मूल्य में प्रकाशन हेतु।
2. नोटिस बोर्ड।
3. अधीक्षक कंप्यूटर केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

उप-आयुक्त

Signed by Narendra Aseri
Date: 22-12-2022 12:18:22
Reason: Approved